As

संतोषसिंह Vs तहसीलदार नगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दफा के 51/11	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-14	वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 10-4-14 को पेश होवे।	
[illegible]-4-14	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। आज पत्रावली निर्णय हेतु नियत है। वादी संतोषसिंह पुत्र गिरराज कौम जाट निवासी पीरनगर तहसील नगर जिला भरतपुर ने प्रतिवादी तहसीलदार तह० नगर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88-89 R.T.Act का के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88·89 R.T.Act का दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खि० [illegible] वाके ग्राम $\frac{393}{0.16}$, $\frac{394}{0.21}$, $\frac{25}{1.14}$, $\frac{214}{0.19}$, $\frac{241}{0.31}$ वाके ग्राम पीरनगर तह० नगर वादी की पैतृक सम्पत्ति है वादी के पिता गिरराज की विरासत जिसका वादी के हलक पिता गिरराज की विरासत महावीरसिंह, संतोषसिंह दा० [illegible] 313 से कारेसिंह, महावीरसिंह, संतोषसिंह के नाम खोला गया, परन्तु कौटिल्य [illegible] कर्मचारी ने जमाबंदी बनाते समय संतोषसिंह के स्थान पर संतोषसिंह दर्ज कर दिया, जबकि वादी का नाम संतोषसिंह है। इसी प्रकार ख० नं० $\frac{24}{1.20}$, $\frac{112}{0.48}$ की ग्राम कल्याणहेडी की ख०न० राजस्व $\frac{147}{0.20}$ की वादी का नाम संतोषसिंह राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज है। वादी को इनका गलत इन्द्राज से सरल हक [illegible] [illegible] वादी राजस्व रिकार्ड [illegible] दर्ज करा पाने का [illegible] निवेदन किया है कि [illegible] $\frac{214}{0.19}$, $\frac{241}{0.31}$ जानकर ख०न० $\frac{393}{0.16}$, $\frac{394}{0.21}$, $\frac{25}{1.14}$ वाके ग्राम पीरनगर में वादी का नाम संतोषसिंह के स्थान पर संतोषसिंह दर्ज किया जावे। दावा दर्ज रजि० किया जाकर प्रति [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:05:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया दिनांक 3.4.14 को उनका जवाब बन्द किया गया।
	हमने वादी के विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं. 2066-69 वाले ग्राम पीराना के खाता सं. 8 व 9 में आ. ख. नं. $\frac{393}{0.16}$, $\frac{394}{0.21}$ एवं $\frac{25}{1.14}$, $\frac{214}{0.19}$, $\frac{241}{0.31}$ की बाबत - " काटे सिंह महावीर, संतोष सिंह पिसर गिर्राज" दर्ज होना पाया जाता है। नकल खसरा फसल रबी खरीफ गिरदावर के अवलोकन से कि आ. 393, 394 की बाबत कॉलम नं. 24 नाम हकदार वर्तमान में काटे सिंह, महावीर सिंह, संतोषसिंह पिसर गिर्राज का नाम दर्ज है, तथा इसी प्रकार ख. नं. 25, 214, 241 की बाबत - कॉलम नं. 24 में नोट अंकित किया गया है कि मि. नं. 313 ता. फै. 9-3-77 के ख. नं. 25, 214, 241, 393, 394 पर गिर्राज मुल गैंडा के स्थान पर काटे सिंह वगैरा का नाम दर्ज किया गया।" नकल जमाबंदी सं. 2065-68 वाले ग्राम कल्याहेड़ी में ख. नं. $\frac{24}{1.20}$, $\frac{112}{0.48}$, $\frac{147}{0.20}$ की बाबत - " काटे महावीर संतोष सिंह पि. गिर्राज " दर्ज होना पाया जाता है। इस प्रकार उक्त विवेचन से वादी का सही नाम संतोष सिंह होना साबित है, जिससे दावा काबिल डिक्री पाया जाता है। अतः आदेश है कि — दावा वादी डिक्री किया जाता है। आ. ख. नं. $\frac{393}{0.16}$, $\frac{394}{0.21}$, $\frac{25}{1.14}$, $\frac{214}{0.19}$, $\frac{241}{0.31}$ वाके ग्राम पीराना तह. नगर में वादी का नाम संतोषसिंह के स्थान पर सन्तोष सिंह घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।
	नि[illegible] पत्रावली खुले न्यायालय में [illegible] फैसला शुमार होकर दा. द. हो।
	(हरिराम कोड़िया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Scanned by CamScanner

A6

डिक्री ब मुकद्दमे इब्तदाईत्र

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिराम आदित्य आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक : 10.4.14

राजस्व वाद संख्या : 51/11

उनवान

सन्तोषसिंह पुत्र श्री गिरिराज कौम जाट निवासी पीरका तह. नगर — वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील नगर — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत (धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री प्रतापसिंह अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री सरकार मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है। आ.खा.नं. 393/0.16, 394/0.21, 25/1.14, 214/0.19 241/0.31 वाके ग्राम पीरका तहसील नगर में वादी का नाम सन्तोषसिंह के स्थान पर सन्तोसिंह घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:05:06 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.4.14 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नगर – भरतपुर

Scanned by CamScanner